

केंद्र-राज्य संबंधों में तनाव

प्रलमिस के लयि:

केंद्र-राज्य संबंधों में तनाव का प्रभाव, [सहकारी संघवाद](#), [संवधान की अनुसूची VII](#), [आर्थिक सुधार](#), [राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली \(NPS\)](#), [पीएम गति शक्ति](#)

मेन्स के लयि:

केंद्र-राज्य संबंधों में टकराव का प्रभाव, सरकारी नीतयिँ और वभिन्न क्षेत्रों में विकास के लयि हस्तक्षेप एवं उनके डज़ाइन तथा कार्यानवयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे

[स्रोत: द हट्टि](#)

चर्चा में क्योँ?

हाल के वर्षों में केंद्र और राज्यों के बीच ववादों की आवृत्ति एवं तीव्रता में वृद्धि हुई है, जससे [सहकारी संघवाद](#) के स्तंभ कमज़ोर हो रहे हैं तथा इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ रहा है।

नोट: सहकारी संघवाद में केंद्र और राज्य एक क्षैतजि संबंध साझा करते हैं, जहाँ वे व्यापक सार्वजनिक हति में "सहयोग" करते हैं।

- यह राष्ट्रीय नीतयिँ के नरिमाण और कार्यानवयन में **राज्यों की भागीदारी को सक्षम करने** के लयि एक महत्त्वपूर्ण उपकरण है।
- संघ और राज्य **संवधान की अनुसूची VII** में नरिदष्टि मामलों पर एक-दूसरे के साथ सहयोग करने के लयि संवैधानिक रूप से बाध्य हैं।

केंद्र-राज्य संबंधों के मुद्दे क्या हैं?

- **पृष्ठभूमि:**
 - वर्ष 1991 से जारी [आर्थिक सुधारों](#) के कारण नविश पर कई नरियंत्रणों में ढील दी गई है, जससे राज्यों को कुछ छूट मिली है, लेकिन सार्वजनिक व्यय नीतयिँ के संबंध में पूर्ण स्वायत्तता नहीं है **क्योंकि राज्य सरकारें अपनी राजस्व प्राप्तिं के लयि केंद्र पर नरिभर हैं।**
 - हाल ही में कई राज्यों ने अपने कदम पीछे खींच लयि हैं, जसके परिणामस्वरूप केंद्र और राज्यों के बीच आदान-प्रदान के समीकरण **दोनों के रुख को और अधिक सख्त कर दिया है**, जससे बातचीत के लयि बहुत कम अवसर बचा है।
 - तेज़ी से बढ़ते केंद्र-राज्य संबंधों ने **सहकारी संघवाद को नुकसान पहुंचाया है।**
- **समसामयिक ववादों की जटलिताएँ:**
 - ववाद के क्षेत्रों में **सामाजिक क्षेत्र की नीतयिँ का एकरूपीकरण**, नयामक संस्थानों की कार्यप्रणाली और केंद्रीय एजेंसयिँ की शक्तयिँ शामिल हैं।
 - आदर्श रूप से इन क्षेत्रों में अधिकांश नीतयिँ राज्यों के वविक पर होनी चाहयि, जसमें एक शीर्ष केंद्रीय नकिय संसाधन आवंटन की प्रक्रयि की देख-रेख करता है।
 - हालाँकि शीर्ष नकियों ने अक्सर अपना प्रभाव बढ़ाने और राज्यों को उन दशाओं में धकेलने का प्रयास कयि है जो केंद्र के अधीन हैं।

भारत में केंद्र-राज्य संबंधों को लेकर संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?

- **वधायी संबंध:**
 - संवधान के भाग- XI में अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र-राज्य वधायी संबंधों की चर्चा की गई है।

- भारतीय संविधान की संघीय प्रकृति के आलोक में यह क्षेत्र और कानून दोनों ही आधार पर केंद्र तथा राज्यों के बीच वधायी शक्तियों को वभाजति करता है।
- वधायी वषियों का वभाजन (अनुच्छेद 246): भारतीय संविधान में सातवीं अनुसूची में तीन सूचियों: सूची- I (संघ), सूची- II (राज्य) और सूची- III (समवर्ती) के माध्यम से केंद्र और राज्यों के बीच वभिन्न वषियों के वभाजन का प्रावधान कया गया है।
- राज्य के क्षेत्राधिकार में संसदीय वधान (अनुच्छेद 249): असामान्य परस्थिति में शक्तियों के इस वभाजन को संशोधति या नलिबति कर दया जाता है।
- प्रशासनिक संबंध (अनुच्छेद 256-263):
 - संविधान के अनुच्छेद 256-263 तक केंद्र तथा राज्यों के प्रशासनिक संबंधों की चर्चा की गई है।
- वत्तीय संबंध (अनुच्छेद 256-291):
 - संविधान के भाग XII में अनुच्छेद 268 से 293 केंद्र-राज्य वत्तीय संबंधों से संबंधति हैं।
 - चूँकि भारत एक संघीय देश है, इसलये जब कराधान की बात आती है तो यह शक्तियों के वभाजन का पालन करता है और राज्यों को धन आवंटति करना केंद्र की ज़िम्मेदारी है।
 - अनुसूची VII केंद्र और राज्यों की कर लगाने की क्षमता का वर्णन करती है।
 - वसतु एवं सेवा कर, एक दोहरी कर संरचन, वत्तीय केंद्र-राज्य संबंध का एक हालया उदाहरण है।

हाल के समय में राजकोषीय संघवाद से कैसे समझौता कया गया है?

- केंद्र का प्रभुत्व और नविश परवर्तन:
 - केंद्र की गतवधियों का वसितारति दायरा ऐसे परदृश्य को जन्म दे सकता है जहाँ यह राज्यों के नविश क्षेत्र का अतिक्रमण करेगा।
 - उदाहरणत: केंद्र ने PM गति शक्ति लॉन्च की, जहाँ सभी राज्यों और केंद्रशासति प्रदेशों को नरिबाध कार्यान्वयन के लये राष्ट्रीय मास्टर प्लान के अनुरूप एक राज्य मास्टर प्लान तैयार करना एवं संचालति करना था।
 - हालाँकि राष्ट्रीय मास्टर प्लान की योजना तथा कार्यान्वयन के केंद्रीकरण से अपने मास्टर प्लान को तैयार करने में राज्यों का लचीलापन कम हो जाता है, जससे राज्यों द्वारा कम नविश कया जाता है।
 - परणामस्वरूप राज्यों में सड़कों तथा पुलों पर पूंजीगत व्यय में गरिवट देखी गई, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का मात्र 0.58% रह गया।
- वचितिर राजकोषीय प्रतसिपर्द्धा:
 - संघीय व्यवस्था में आमतौर पर क्षेत्रों/राज्यों के बीच वत्तीय प्रतसिपर्द्धा देखी जाती है कति भारत ने राज्यों को न केवल आपस में बल्कि केंद्र के साथ भी इस प्रतसिपर्द्धा में उलझते देखा है।
 - यह परदृश्य केंद्र की संवर्द्धति राजकोषीय गुंजाइश के कारण उत्पन्न हुआ है, जससे उसे अधकि खर्च करने की शक्ति मिलति है, जबकि राज्यों को गैर-कर राजस्व जुटाने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
 - इसके अतरिकित व्यय तीन सबसे बड़े राज्यों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात में अधकि केंद्रति हो गया है, जो वर्ष 2021-22 तथा 2023-24 के बीच 16 राज्यों के व्यय का लगभग आधा है।
 - इस असंतुलन के कारण राज्यों की वत्तीय स्वायत्तता कम हो जाती है तथा कल्याण प्रावधान की गतशीलता में कमी देखी जाती है।
- समानांतर नीतियों के कारण अक्षमताएँ:
 - केंद्र और राज्यों के बीच संघीय मतभेदों के परणामस्वरूप 'समानांतर नीतियों' का उदय हुआ है।
 - उदाहरण के लये राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) ने एक परभाषति लाभ योजना से परभाषति योगदान योजना में बदलाव की शुरुआत की।
 - हालाँकि अधकिंश राज्यों ने शुरु में NPS को अपनाया, जबकि कुछ राज्य कथति वत्तीय प्रभावों के कारण पुरानी पेंशन योजना पर वापस लौट रहे हैं।
 - संघीय प्रणाली के भीतर वशिवस की कमी राज्यों को नीतियों की नकल करने के लये प्रेरति करती है, जससे अक्षमता की स्थति उत्पन्न होती है तथा अर्थव्यवस्था पर दीर्घकालिक राजकोषीय प्रभाव पड़ता है।

भारत में संघवाद को कैसे सशक्त कया जा सकता है?

- सहयोगात्मक संवाद:
 - केंद्र एवं राज्यों के बीच खुले तथा पारदर्शी संचार को बढ़ावा देना। चतिओं को दूर करने एवं दोनों को प्रभावति करने वाले मुद्दों पर सामान्य आधार खोजने के लये नयिमति बैठकों व चर्चाओं को प्रोत्साहति कया जाना चाहये।
- राज्यों को सशक्त बनाना:
 - उत्तरदायतिव सुनश्चति करते हुए राज्यों को अधकि नरिणय लेने की शक्तियाँ एवं संसाधन हस्तांतरति करना चाहये। यह राज्यों को केवल केंद्र पर नरिभर हुए बना अपने विकास एजेंडे का प्रभार लेने के लये सशक्त बना सकता है।
- सहकारी नीतियाँ:
 - सहकारी नीतियों को प्रोत्साहति करना जहाँ केंद्र और राज्य पहल तैयार करने तथा लागू करने हेतु मलिकर कार्य करते हैं। यह सहयोग संसाधनों का अनुकूलन कर सकता है और व्यापक विकास सुनश्चति कर सकता है।
- भूमिकाओं में स्पष्टता:
 - अतवियापी क्षेत्राधिकारों और संघर्षों को कम करने हेतु सरकार के दोनों स्तरों के लये स्पष्ट भूमिकाएँ तथा ज़िम्मेदारियाँ परभाषति

करना। यह स्पष्टता संचालन को सुव्यवस्थिति कर सकती है और नीतिके दोहराव को रोक सकती है।

■ **वश्वास नरिमाण:**

- आपसी सम्मान और समझ के माध्यम से वश्वास तथा सहयोग की संस्कृति को बढ़ावा देना। वश्वास स्थापति करने से नीतियों और सुधारों के सुचारु कार्यान्वयन में सहायता मलि सकती है।

नष्कृष:

- एक अनुकूल आर्थिक माहौल के लयि संघीय व्यवस्था के अंदर केंद्र और राज्यों के बीच सामंजस्यपूरण संबंध होना महत्त्वपूरण है।
- सहयोगात्मक और उत्पादक संबंधों को बढ़ावा देने के लयि सहयोग, सशक्तीकरण, स्पष्टता एवं वश्वास आवश्यक घटक हैं।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न. नमिनलखिति में से कौन-सी एक भारतीय संघराज्य पद्धतकी वश्षता नहीं है? (2017)

- (a) भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है।
- (b) केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट वभिजन कया गया है।
- (c) संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दया गया है।
- (d) यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमतिका परणाम है।

उत्तर: (d)

प्रश्न. स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कयिह एक प्रयोग है। (2017)

- (a) संघवाद का
- (b) लोकतांत्रिक वकिेंद्रीकरण का
- (c) प्रशासनिक प्रत्यायोजन का
- (d) प्रत्यक्ष लोकतंत्र का

उत्तर: (b)

??????:

प्रश्न. यद्यपि परसिंघीय सदिधांत हमारे संवधान में प्रबल है और वह सदिधांत संवधान के आधारकि अभलिक्षणों में से एक है, परंतु यह भी इतना ही सत्य है कि भारतीय संवधान के अधीन परसिंघवाद (फैंडरलज़िम) सशक्त केंद्र के पक्ष में झुका हुआ है। यह एक ऐसा लक्षण है जो प्रबल परसिंघवाद की संकल्पना के वरिोध में है। चर्चा कीजयि। (2014)